रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 1985/फाल्गुन 10, 1906
No. 91] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 1985/PHALGUNA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1985

सा. का. नि. 131(अ).—संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 1 मार्च, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[सं. 7(1)/85-वि. 2]

ए. वे. सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1985

G.S.R. 131(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, the Central Government hereby appoints the 1st day of March, 1985, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 7(1)|85-Leg.II]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985